

Protection For Bank Depositors

Bank Deposits upto Rs. 5,00,000/- in respect of each depositor are fully protected by the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation under the deposit Insurance Scheme. The Scheme covers all commercial banks (including Regional Rural Banks) operating in India and also co-operative banks in States and Union Territories to which the Scheme has been extended by the Central Government. These banks are registered as insured banks with the Corporation.

The Corporation's liability in respect of insured deposits will arise in the following cases:

If a bank goes into liquidation: The Corporation will arrange to pay every depositor directly or through the liquidator the amount due to him under the insurance scheme.

If a bank is reconstructed or amalgamated with another bank and the scheme of reconstruction or amalgamation does not entitle a depositor to get credit for the full amount of his deposit: The Corporation will arrange to pay the reconstructed bank or the amalgamated bank an amount equivalent to the shortfall between the amount due to the depositor under the insurance scheme and the amount of credit received by him under the scheme of reconstruction or amalgamation.

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION, MUMBAI.

बैंक के जमाकर्ताओं की सुरक्षा

प्रत्येक जमाकर्ता के पक्ष में रु. 5,00,000 तक की बैंक में जमा राशि डिपॉजिट इश्योरंस स्कीम के अंतर्गत डिपॉजिट बीमा ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन द्वारा पूरी तरह सुरक्षित होते हैं। इस योजना में भारत में कार्यरत सभी व्यावसायिक बैंक (प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों समेत) और साथ ही राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के सहकारी बैंक भी शामिल हैं, जिनके लिये केंद्र सरकार द्वारा योजना का विस्तार किया गया है। इन बैंकों को निगम के साथ बीमित बैंकों के रूप में रजिस्टर किया गया है।

बीमित जमाकर्ताओं के संबंध में निगम की देयता निम्नलिखित मामलों में उत्पन्न होगी:

अगर बैंक दीवालिया हो जाता है: निगम सीधे या ऋणशोधक के माध्यम से प्रत्येक जमाकर्ता को उसकी बकाया राशि के भुगतान की व्यवस्था करेगा।

अगर कोई बैंक किसी अन्य बैंक के साथ पुनर्गठित या एकीकृत किया जाता है और पुनर्गठन या एकीकरण की योजना जमाकर्ता को उसकी पूरी जमा राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं देती: तो निगम पुनर्गठित बैंक या एकीकृत बैंक को बीमा योजना के अंतर्गत जमाकर्ता को देय राशि और पुनर्गठन या एकीकरण की योजना के अंतर्गत उसे प्राप्त राशि के बीच का अंतर पुनर्गठित या एकीकृत बैंक को देने की व्यवस्था करेगा।

डिपॉजिट इश्योरंस ऐंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, मुंबई (जमा राशि बीमा एवं ऋण गारंटी निगम, मुंबई)।

ব্যাঙ্ক ডিপোজিটরদের জন্য নিরাপত্তা

প্রত্যেক ডিপোজিটরের ক্ষেত্রে ₹5,00,000/- পর্যন্ত ব্যাঙ্ক ডিপোজিট সমূহ ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স স্কিমের অধীনে ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত। এই স্কিমটি ভারতে অপারেটিং সমস্ত বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি (আঞ্চলিক গ্রামীণ ব্যাঙ্কগুলি সহ) এবং রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে কভার করে যেখানে কেন্দ্রীয় সরকার প্রকল্পটি প্রসারিত করেছে। এই ব্যাঙ্কগুলি কর্পোরেশনের সাথে বীমাকৃত ব্যাঙ্ক হিসাবে নিবন্ধিত।

নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে ইন্সিওরড বা বীমাকৃত ডিপোজিটের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের দায়বদ্ধতা দেখা দেবে:

কোনো ব্যাঙ্ক লিকুইডেশন-এ গেলে: কর্পোরেশন প্রত্যেক ডিপোজিটরকে সরাসরি বা লিকুইডেটরের মাধ্যমে ইন্স্যুরেন্স স্কিমের অধীনে তার বকেয়া অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

যদি একটি ব্যাঙ্ক পুনর্গঠিত হয় বা অন্য কোনো ব্যাঙ্কের সাথে একত্রিত হয় এবং পুনর্গঠন বা একত্রীকরণের স্কিম কোনও ডিপোজিটরকে তার ডিপোজিটের সম্পূর্ণ পরিমাণের জন্য ক্রেডিট পাওয়ার অধিকার প্রদান করে না: কর্পোরেশন পুনর্গঠিত ব্যাঙ্ক বা একত্রিত ব্যাঙ্ককে ইন্স্যুরেন্স স্কিমের অধীনে ডিপোজিটরের বকেয়া পরিমাণ এবং পুনর্গঠন বা একত্রীকরণ প্রকল্পের অধীনে তার দ্বারা প্রাপ্ত লোনের পরিমাণের মধ্যে ঘাটতির সমপরিমাণ অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করবে।

ডিপোজিট ইন্স্যুরেন্স অ্যান্ড ক্রেডিট গ্যারান্টি কর্পোরেশন, মুম্বই।